<u>अधिसूचना</u> नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 30/2016-सीमाशुल्क (एन.टी)

सा0का0नि0....(अ)-केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यात्री सामान नियम, 1998 का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री सामान नियम, 2016 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(i) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है;

(ii) "कुटुम्ब" में ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो उसी मकान में रह रहे हैं और उसी घरेलू स्थापन का भाग गठित करते हैं;

(iii) "शिशु" से दो वर्ष से अनधिक आयु का बालक अभिप्रेत है;

(iv) "निवासी" से पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी विधिमान्य पासपोर्ट धारित करने वाला और सामान्यत: भारत में निवास करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(v) "पर्यटक" से भारत में सामान्यत: निवास न करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधिसम्मत गैर अप्रवास प्रयोजन के लिए किसी बारह मास की अवधि के अनुक्रम में छह मास से अनधिक ठहरने के लिए भारत में प्रवेश करता है;

(vi) "व्यक्तिगत सामान" से दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित वस्तुऐं अभिप्रेत हैं किन्तु आभूषण सम्मिलित नहीं हैं ।

(2) ऐसे शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित हैं के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके हैं ।

3. **नेपाल, भूटान या म्यांमार से भिन्न देशों से आने वाले यात्री**-नेपाल, भूटान या म्यांमार से भिन्न किसी देश से आने वाला कोई भारतीय निवासी या भारत में रहने वाला विदेशी या भारतीय मूल का पर्यटक जो शिशु नहीं है, को पचास हजार रुपए के मूल्य तक उसके सदभाविक यात्री सामान अर्थात् उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामान, यात्रा भेंट और उपाबंध-1 में वर्णित से भिन्न वस्तुओं को शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी यदि ये व्यक्ति के साथ या यात्री के यात्रा सामान के साथ ले जाए जा रहे हैं:

परंतु विदेशी मूल का पर्यटक, जो शिशु नहीं है, को पंद्रह हजार रुपए के मूल्य तक उसके सदभाविक यात्री सामान अर्थात् उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामान, यात्रा भेंट और उपाबंध-1 में वर्णित से भिन्न वस्तुओं को शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी यदि ये व्यक्ति के साथ या यात्री के यात्रा सामान के साथ ले जाए जा रहे हैं:

परंतु यह और कि जहां यात्री शिशु है वहां केवल उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामानों को ही शुल्क मुक्त की अनुज्ञा दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण-इस नियम के अधीन किसी यात्री के निशुल्क भत्ते को किसी अन्य यात्री के निशुल्क भत्ते से जोड़े जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. **नेपाल, भूटान या म्यांमार से आने वाले यात्री** - नेपाल, भूटान या म्यांमार से आने वाला कोई भारतीय निवासी या भारत में निवास करने वाला विदेशी या पर्यटक, जो शिशु नहीं है, को पंद्रह हजार रुपए के मूल्य तक उसके सदभाविक यात्री सामान में अर्थात् उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामान, यात्रा भेंट और उपाबंध-1 में वर्णित से भिन्न वस्तुओं को शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी यदि ये व्यक्ति के साथ या यात्री के यात्रा सामान के साथ ले जाए जा रहे हैं:

परंतु जहां यात्री शिशु है वहां केवल उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामानों को ही शुल्क मुक्त की अनुज्ञा दी जाएगी ।

परंतु यह और कि जहां यात्री भूमि मार्ग द्वारा आ रहा है केवल उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामानो को ही, शुल्क मुक्त की अनुज्ञा दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण-इस नियम के अधीन किसी यात्री के नि:शुल्क भत्ते को किसी अन्य यात्री के नि:शुल्क भत्ते से जोड़े जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

5. **आभूषण**-एक वर्ष से अधिक विदेश में रहने वाले यात्री को भारत में वापस आने पर, यदि पुरुष यात्री द्वारा लाया जाता है, तो पचास हजार रुपए की मूल्य सीमा तक के बीस ग्राम के भार या यदि महिला यात्री द्वारा लाया जाता है तो एक लाख रुपए के मूल्य सीमा वाले चालीस ग्राम के आभूषण की उसके सदभाविक यात्रा सामान में शुल्क मुक्त की अनुज्ञा दी जाएगी ।

6. **निवास का स्थानांतरण**-(1) ऐसा व्यक्ति, जो विदेश में वृत्ति में लगा है या भारत में अपने निवास का स्थानांतरण कर रहा है को वापसी पर, उक्त परिशिष्ट के स्तंभ (3) के तत्समान प्रविष्टि में वर्णित शर्त यदि कोई है के अधीन रहते हुए नीचे परिशिष्ट के स्तंभ (2) में वर्णित विस्तार तक उसके सदभाविक यात्री सामान की वस्तुओं पर नियम 3 या यथास्थिति नियम 4 के अधीन जो उसे अनुज्ञात है के अतिरिक्त शुल्क मुक्त निकासी अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) उक्त परिशिष्ट के स्तंभ (3) वर्णित शर्तें उक्त परिशिष्ट के स्तंभ (4) में वर्णित विस्तार तक शिथिल की जा सकेंगी ।

परिशिष्ट

विदेश में ठहरने की अवधि	**शुल्क मुक्त अनुज्ञात वस्तुएं**	**शर्तें**	**शिथिलीकरण**
(1)	(2)	(3)	(4)
तीन मास से छह मास तक	उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत साठ हजार रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 3 में वर्णित	भारतीय यात्री	

	वस्तुएं हैं ।		
छह मास से एक वर्ष तक	उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत एक लाख रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 3 में वर्णित वस्तुएं हैं ।	भारतीय यात्री	
पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान न्यूनतम एक वर्ष का ठहराव	उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत दो लाख रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 3 में वर्णित वस्तुएं हैं ।	भारतीय यात्री ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में इस छूट का फायदा नहीं उठाया है ।	
न्यूनतम दो वर्ष या अधिक का ठहराव	उपाबंध 1 या उपाबंध 2 में वर्णित से भिन्न उपयोग की गई व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुएं किन्तु जिसके अंतर्गत पांच लाख रुपए के कुल मूल्य तक उपाबंध 3 में वर्णित वस्तुएं हैं ।	(i) निवास के स्थानांतरण पर उसके आगमन की तारीख से ठीक पहले विदेश में न्यूनतम दो वर्ष का ठहराव ।	(क) शर्त (i) के लिए विदेश में ठहरने की दो मास की कमी को सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकता है यदि पूर्व वापसी – (i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी या दीर्घावकाश; या (ii) लेखबद्ध किए जाने वाले कारणो से किसी अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण है । (ख) शर्त (ii) के लिए मुख्य सीमा शुल्क

		(ii) दो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संक्षिप्त दौरे पर भारत में कुल ठहराव छह मास से अधिक नहीं होना चाहिए; और	आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विशेष परिस्थितियों में छह मास से अधिक के संक्षिप्त दौरे को माफ कर सकेगा ।
		(iii) यात्री ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में इस रियायत का फायदा नहीं उठाया है ।	कोई शिथिलता नहीं ।

7. **करेंसी**-इन नियमों के अधीन करेंसी के आयात और निर्यात का विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी निर्यात और आयात) विनियम, 2000 और इसक अधीन जारी अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

8. **साथ न लाए गए यात्री सामान से संबंधित उपबंध**—(1) ये नियम उसके सिवाए जहां वे विनिर्दिष्टत: अपवर्जित किए गए हैं, साथ न लाए गए यात्री सामान को लागू होंगे ।

परंतु उक्त साथ न लाए गए यात्री सामान विदेशी यात्री के कब्जे में था और भारत में उसके आगमन के एक मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, भेजा गया है ।

परंतु यह और कि उक्त साथ न लाया गया यात्री सामान यात्री के आगमन के पहले दो मास तक या एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञात करे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि यात्री, यात्री या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अचानक बीमारी या प्राकृतिक आपदा या विक्षुब्ध दशा या देश या संबद्ध देशों में परिवहन या यात्रा व्यवस्था की अस्त व्यस्तता या कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप यात्री को यात्रा कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा, जैसे उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण दो मास की अवधि के भीतर भारत में आने से निवारित था, भारत में लाया जा सकेगा ।

9. **कर्मीदल के सदस्यों को इन नियमों का लागू होना**—(1) ये नियम उनके वचन बंध की समाप्ति पर अंतिम विदाई के समय उनके यात्री सामान के आयातन के लिए विदेश जाने वाले प्रवहण में लगे कर्मीदल के सदस्यों को भी लागू होंगे ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी यान या वायु यान के कर्मीदल के सदस्य को चॉकलेट, मक्खन, प्रसाधन और अन्य छोटे भेंट जैसी वस्तुएं अपने व्यक्तिगत या कुटुम्ब के उपयोग के लिए लाने की अनुज्ञा दी जाएगी जो एक हजार पांच सौ रुपए के मूल्य से अधिक का न होगा ।

उपाबंध-1

(नियम 3,4 और 6 देखें)

1. अग्नायुध
2. 50 से अधिक अग्नायुध कारतूस
3. 100 स्टिक से अधिक सिगरेट या 25 से अधिक सिगार 125ग्राम से अधिक तंबाकू
4. दो लीटर से अधिक अल्कोहॉलिक शराब या मदिरा
5. आभूषण से भिन्न किसी रूप में स्वर्ण या रजत
6. फ्लैट पैनल (लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले/लाइट एमिटिंग डायोड/प्लास्मा) टेलीविज़न

उपाबंध-2

(नियम 6 देखें)

1. रंगीन टेनीविज़न
2. वीडिओ होम थिएटर प्रणाली
3. डिश वाशर
4. 300 लीटर तक की या इसके समतुल्य क्षमता का घरेलू फ्रिज
5. डीप फ्रीज़र
6. वीडियो कैमरा या निम्नलिखित एक या अधिक माल के साथ ऐसे किसी वीडियो कैमरा का संयोजन, अर्थात्:--
   (क) टेलीविज़न रिसीवर;
   (ख) आवाज अभिलेखन या पुनुरुत्पादित साधित्र;
   (ग) वीडियो पुनुरुत्पादित साधित्र
7. 35एमएम और अधिक की सिनेमैटोग्राफिक फिल्म
8. आभूषण से भिन्न किसी रूप में स्वर्ण या रजत।

उपाबंध 3

(नियम 6 देखें)

1. वीडियो कैसेट रिकॉडर या वीडियो कैसेट प्लेयर या वीडियो टेलीविज़न रिसीवर या वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर ।
2. डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर ।
3. संगीत प्रणाली ।
4. एयर कंडीशनर
5. माइक्रोवेस ओवन
6. वर्ड प्रोसेसिंग मशीन

7. फैक्स मशीन
8. पोर्टेबल फोटोकापी मशीन
9. वॉशिंग मशीन
10. इलैक्ट्रिकल या द्रव्य पैट्रोलियम गैस कुकिंग रेंज
11. व्यक्तिगत कम्पयूटर (डेस्कटॉप कंप्यूटर)
12. लैपटॉप कम्पयूटर (नोटबुक कंप्यूटर)
13. 300 लीटर या इसके समतुल्य क्षमता का घरेलू फ्रिज ।

(फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार